

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

जगदीश सिंह

बनाम

कमलजीत कौर आदि

दिनांक ..... नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

करण संख्या ..... 76 / 2016 अन्तर्गत धारा ..... 88, 188 RTA

दिनांक ..... आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

16<sup>2</sup>/<sub>23</sub> आज यह पत्रावली प्राची/वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र चेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान मुकदमा को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। आज की चेशी में लिया जाकर खारिज फरमाया जावे। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची/वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 192A RTA नोटिस करने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बिगिति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल फ़तर हो

NOT PENDING  
Jagdish Singh  
John



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

